रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2221] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 29, 2014/कार्तिक 7, 1936
No. 2221] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 29, 2014/KARTIKA 7, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2014

का.आ. 2780(अ).----केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकर का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 क 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2540(अ) तारीख 22 अगस्त, 2013, जो भारत के असाधारण राजपत्र, तारीख 22 अगस्त 2013, में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से सलंग्न अनूसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में वैल नम्बर जे - 135 से झालोरा जीजीएस तक अपरिष्कृत तेल के परिवहन के लिये गुजरात राज्य में ओएनजीसी लिमिटेड की अहमदाबाद परियोजना द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 01/10/2013 तक उपलब्ध करा दी थीं ;

और सक्षम अधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये आपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

इस अधिसूचना के साथ सलंग्न अनूसूची में निर्दिष्ट भूमियों में उपयोगकर्ता के अधिकार के अधिग्रहण का निर्णय लिया है।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से सलंग्न अनूसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय, सभी विल्लगमों से मुक्त हो कर आयल एन्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

वैल नम्बर जे - 135 से झालोरा जी जी एस-2					
ताल्लुका : कडी	**जिला : मेहसाना**	**भाग, यदि है**	**राज्य : गुजरात**		
गाँव क नाम	**ब्लौक न.**		**क्षेत्रफल**		
	सर्वे न.		**हेक्टेयर**	**एयर**	**वर्ग मी**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
आदरज	D/S. J#135			00 - 16 - 01	
1	2	3	4	5	6
	1121 Paiky-3			00 - 19 - 48	
	1116/2			00 - 00 - 87	
1	2	3	4	5	6
	1118			00 - 20 - 40	
	नहर	सरकारी नहर		00 - 04 - 06	
	1117			00 - 12 - 28	
लक्षमनपुरा	318			00 - 17 - 77	
	नहर	सरकारी नहर		00 - 00 - 21	
	रास्ता	सरकारी रास्ता		00 - 00 - 12	
आम्बलियारा	रास्ता	सरकारी रास्ता		00 - 00 - 56	

[फा. सं. ओ-12026/24/2013/ओएनजी-3]

के. एम. सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2014

S.O. 2780(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No 2540(E) dated 22 August, 2013, issued under sub-section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 0f 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 22 August, 2013, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the State of Gujarat for transportation of Crude Oil from Well J-135 to Jhalora GGS-Il by Oil and Natural Gas Corporation (ONGC);

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to public up to 01/10/2013.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user therein;

Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

WELL J #135 TO JHALORA GGS-II					
TALUKA : KADI	**DISTRICT : MAHESANA**	**Part , if any**	**STATE : GUJARAT**		
VILLAGE	**Block No./ Survey No.**		**Area to be acquired**		
			Ha.	**Are**	**Sq. mt**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
ADARAJ	D/S. J#135			00 - 16 - 01	
	1121 Paiky-3			00 - 19 - 48	
	1116/2			00 - 00 - 87	
	1118			00 - 20 - 40	
	Canal	G/L Canal		00 - 04 - 06	
	1117			00 - 12 - 28	
LAXMANPURA	318			00 - 17 - 77	
	Canal	G/L Canal		00 - 00 - 21	
	Cart track	G/L Rasta		00 - 00 - 12	
AMBALIYARA	Cart track	G/L Rasta		00 - 00 - 56	

[F. No. O-12026/24/2013-ONG-III]

K. M. SINGH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2014

का.आ. 2781(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकर का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2541(अ) तारीख 22 अगस्त, 2013, जो भारत के असाधारण राजपत्र, तारीख 22 अगस्त, 2013, में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनूसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में वैल नम्बर जे-137 से झालोरा जीजीएस तक अपरिष्कृत तेल के परिवहन के लिये गुजरात राज्य

में ओएनजीसी लिमिटेड की अहमदाबाद परियोजना द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 01/10/2013 तक उपलब्ध करा दी थीं ;

और सक्षम अधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये आपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनूसूची में निर्दिष्ट भूमियों में उपयोगकर्ता के अधिकार के अधिग्रहण का निर्णय लिया है।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से सलंग्न अनूसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय, सभी विल्लगमों से मुक्त हो कर आयल एन्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची

वैल नम्बर जे - 137 से झालोरा जी जी एस-2					
ताल्लुका : कडी	**जिला : मेहसाना**	**भाग, यदि है**	**राज्य : गुजरात**		
गाँव क नाम	**ब्लौक न.**		**क्षेत्रफल**		
	सर्वे न.		**हेक्टेयर**	**एयर**	**वर्ग मी**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
आदरज	रास्ता	सरकारी रास्ता	00 - 13 - 91		
	1325		00 - 00 - 58		
	1327		00 - 06 - 42		
	1327/1		00 - 08 - 12		
	1326		00 - 12 - 66		
	1155		00 - 09 - 51		
	1156		00 - 10 - 59		
	1157		00 - 03 - 49		
	1159		00 - 03 - 08		
	1160 Paiky-1		00 - 06 - 04		
	1160 Paiky-2		00 - 06 - 04		
	1161		00 - 03 - 66		
	1121 Paiky-1		00 - 40 - 39		
	1121 Paiky-3		00 - 19 - 48		
	रास्ता	सरकारी रास्ता	00 - 03 - 88		

ONGC WBM ROAD	सरकारी रास्ता	00 - 00 - 29
D/S. J#135		00 - 10 - 02
1116/2		00 - 00 - 87
1118		00 - 20 - 40
नहर	सरकारी नहर	00 - 04 - 06
1117		00 - 12 - 28

[फा. सं. ओ–12026/24/2013/ओएनजी– III]

के. एम. सिंह, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2014

S.O. 2781(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No 2541(E) dated 22 August, 2013, issued under sub-section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 22 August, 2013, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the state of Gujarat for transportation of Crude Oil from Well J - 137 to Jhalora GGS-Il by Oil and Natural Gas Corporation (ONGC);

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to public up to 01/1012013.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user therein;

Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

WELL J#137 TO JHALORA GGS-II			
TALUKA : KADI	**DISTRICT :MAHESANA**		**STATE: GUJARAT**
VILLAGE	**Block No./ Survey No.**	**Part , if any**	**Area to be acquired Ha. - Are - Sq.mt.**
ADARAJ	Road	G/L Rasta	00 - 13 - 91
	1325		00 - 00 - 58
	1327		00 - 06 - 42

1327/1		00 - 08 - 12
1326		00 - 12 - 66
1155		00 - 09 - 51
1156		00 - 10 - 59
1157		00 - 03 - 49
1159		00 - 03 - 08
1160 Paiky-1		00 - 06 - 04
1160 Paiky-2		00 - 06 - 04
1161		00 - 03 - 66
1121 Paiky-1		00 - 40 - 39
1121 Paiky-3		00 - 19 - 48
Road	G/L Rasta	00 - 03 - 88
ONGC WBM ROAD	G/L Rasta	00 - 00 - 29
D/S. J#135		00 - 10 - 02
1116/2		00 - 00 - 87
1118		00 - 20 - 40
Canal	G/L Canal	00 - 04 - 06
1117		00 - 12 - 28

[F. No. O-12026/24/2013-ONG-III]

K. M. SINGH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2014

का.आ. 2782(अ).---केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकर का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2542(अ) तारीख 22 अगस्त, 2013, जो भारत के असाधारण राजपत्र, तारीख 22 अगस्त, 2013, में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से सलंग्न अनूसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में वैल नम्बर जे -117 से झालोरा जीजीएस तक अपरिष्कृत तेल के परिवहन के लिये गुजरात राज्य में ओएनजीसी लिमिटेड की अहमदाबाद परियोजना द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 01/10/2013 तक उपलब्ध करा दी थीं ;

और सक्षम अधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये आपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिचश्य किया है;

इस अधिसूचना के साथ सलंग्न अनूसूची में निर्दिष्ट भूमियों में उपयोगकर्ता के अधिकार के अधिग्रहण का निर्णय लिया है।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय, सभी विल्लगमों से मुक्त हो कर आयल एन्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

वैल नम्बर जे - 117 से झालोरा जी जी एस					
ताल्लुका : कडी	जिला : मेहसाना		राज्य : गुजरात		
गाँव क नाम	ब्लौक न.	भाग, यदि है	क्षेत्रफल		
	सर्वे न.		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मी
1	2	3	4	5	6
आदरज	D/S. J#117			00 - 29 - 75	
	1146/2			00 - 01 - 28	
	1147			00 - 11 - 60	
	1148 Paiky-1			00 - 05 - 03	
	1148 Paiky-2			00 - 05 - 02	
	D/S. J#76			00 - 16 - 44	
	1152			00 - 01 - 04	
	1158			00 - 01 - 35	
	ONGC WBM ROAD	सरकारी रास्ता		00 - 13 - 07	
	1151/1			00 - 06 - 75	
	1126/1			00 - 03 - 86	
	1125			00 - 03 - 73	
	D/S. J#38			00 - 24 - 86	
	1128/1B/P-1/2			00 - 00 - 40	
	1128/1C			00 - 03 - 28	
	रास्ता	सरकारी रास्ता		00 - 03 - 38	
	1123/P-2			00 - 02 - 68	
	1120/2			00 - 10 - 89	
	1128/2			00 - 08 - 33	
	1120/3			00 - 09 - 49	
	1119			00 - 03 - 87	

लक्षमनपुरा	316/1		00 - 06 - 42
	318		00 - 27 - 66
	नहर	सरकारी नहर	00 - 04 - 03
	रास्ता	सरकारी रास्ता	00 - 00 - 12
आम्बलियारा	रास्ता	सरकारी रास्ता	00 - 00 - 56

[फा. सं. ओ-12026/24/2013/ओएनजी- III]

के. एम. सिंह, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2014

S.O. 2782 (E).— Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2542(E) dated 22 August, 2013, issued under sub-section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 22 August, 2013, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the state of Gujarat for transportation of Crude Oil from Well J - 117 to Jhalora GGS-II by Oil and Natural Gas Corporation (ONGC);

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to public up to 01/1012013.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user therein;

Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

WELL J#117 TO JHALORA GGS-II					
TALUKA:KADI	**DISTRICT :MAHESANA**	**Part , if any**	**STATE: GUJARAT**		
VILLAGE	**Block No./ Survey No.**		**Area to be acquired**		
			Ha.	**Are**	**Sq.mt**
1	2	3	4	5	6
ADARAJ	D/S. J#117			00 - 29 - 75	
	1146/2			00 - 01 - 28	
	1147			00 - 11 - 60	
	1148 Paiky-1			00 - 05 - 03	
	1148 Paiky-2			00 - 05 - 02	
	D/S. J#76			00 - 16 - 44	

	1152		00 - 01 - 04
	1158		00 - 01 - 35
	ONGC WBM ROAD	G/L Rasta	00 - 13 - 07
	1151/1		00 - 06 - 75
	1126/1		00 - 03 - 86
	1125		00 - 03 - 73
	D/S. J#38		00 - 24 - 86
	1128/1B/P-1/2		00 - 00 - 40
	1128/1C		00 - 03 - 28
	Road	G/L Rasta	00 - 03 - 38
	1123/P-2		00 - 02 - 68
	1120/2		00 - 10 - 89
	1128/2		00 - 08 - 33
	1120/3		00 - 09 - 49
	1119		00 - 03 - 87
LAXMANPURA	316/1		00 - 06 - 42
	318		00 - 27 - 66
	Canal	G/L Canal	00 - 04 - 03
	Cart track	G/L Rasta	00 - 00 - 12
AMBALIYARA	Cart track	G/L Rasta	00 - 00 - 56

[F. No. O-12026/24/2013-ONG-III]

K. M. SINGH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2014

का.आ. 2783(अ).---केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकर का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 क 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2543(अ) तारीख 22 अगस्त, 2013, जो भारत के असाधारण राजपत्र, तारीख 22 अगस्त, 2013, में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में वैल नम्बर एन-223 से नवागाम जीजीएस 3 तक अपरिष्कृत तेल के परिवहन के लिये गुजरात राज्य में ओएनजीसी लिमिटेड की अहमदाबाद परियोजना द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 01/10/2013 तक उपलब्ध करा दी थीं ;

और सक्षम अधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये आपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमियों में उपयोगकर्ता के अधिकार के अधिग्रहण का निर्णय लिया है।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से सलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय, सभी विल्लगमों से मुक्त हो कर आयल एन्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

वैल नम्बर एन - 223 से नवागाम जी जी एस 3					
ताल्लुका : ख़ेडा	**जिला : ख़ेडा**	**भाग, यदि है**	**राज्य : गुजरात**		
गाँव क नाम	**ब्लौक न.**		**क्षेत्रफल**		
	सर्वे न.		**हेक्टेयर**	**एयर**	**वर्ग मी**
1	2	3	4	5	6
पान्सोली	D/S N#223			00 - 00 - 81	
	382/1P			00 - 09 - 57	
	350			00 - 12 - 88	
	रास्ता	सरकारी रास्ता		00 - 02 - 03	
	348/1			00 - 10 - 55	
	346			00 - 09 - 21	
	347			00 - 02 - 02	
	रास्ता	सरकारी रास्ता		00 - 00 - 77	
	ONGC रास्ता	सरकारी रास्ता		00 - 02 - 35	
	305			00 - 02 - 85	
	345			00 - 04 - 37	
	307/P			00 - 03 - 04	
	रास्ता	सरकारी रास्ता		00 - 02 - 68	

[फा. सं. ओ-12026/24/2013/ओएनजी-III]

के. एम. सिंह, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2014

S.O. 2783 (E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No 2543(E) dated 22 August, 2013, issued under sub-section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 22 August, 2013, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the state of Gujarat for transportation of Crude Oil from Well N-223 to Navagam GGS-II by Oil and Natural Gas Corporation (ONGC);

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to public up to 01/1012013.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user therein;

Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

WELL N#223 TO NAVAGAM GGS-III					
TALUKA:KHEDA	**DISTRICT : KHEDA**		**STATE: GUJARAT**		
VILLAGE	**Block No./ Survey No.**	**Part , if any**	**Area to be acquired**		
			Ha.	**Are**	**Sq.mt**
1	2	3	4	5	6
PANSOLI	D/S N#223			00 - 00 - 81	
	382/1P			00 - 09 - 57	
	350			00 - 12 - 88	
	Road	G/L Rasta		00 - 02 - 03	
	348/1			00 - 10 - 55	
	346			00 - 09 - 21	
	347			00 - 02 - 02	
	Road	G/L Rasta		00 - 00 - 77	
	ONGC WBM ROAD	G/L Rasta		00 - 02 - 35	
	305			00 - 02 - 85	
	345			00 - 04 - 37	
	307/P			00 - 03 - 04	
	Road	G/L Rasta		00 - 02 - 68	

[F. No. O-12026/24/2013-ONG-III]

K. M. SINGH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2014

का.आ. 2784 (अ).---केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकर का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2544(अ) तारीख 22 अगस्त, 2013, जो भारत के असाधारण राजपत्र, तारीख 22 अगस्त, 2013, में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से सलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में वैल नम्बर वी - 22 से विराज जीजीएस तक अपरिष्कृत तेल के परिवहन के लिये गुजरात राज्य में ओएनजीसी लिमिटेड की अहमदाबाद परियोजना द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 01/10/2013 तक उपलब्ध करा दी थीं ;

और सक्षम अधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये आपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमियों में उपयोगकर्ता के अधिकार के अधिग्रहण का निर्णय लिया है।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय, सभी विल्लगमों से मुक्त हो कर आयल एन्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची

वैल नम्बर वी - 22 से विराज जी जी एस					
ताल्लुका :कडी	**जिला : मेह्साना**		**राज्य:गुजरात**		
गाँव क नाम	**ब्लौक न.**	**भाग, यदि है**	**क्षेत्रफल**		
	सर्वे न.		**हेक्टेयर**	**एयर**	**वर्ग मी**
1	2	3	4	5	6
नानीकडी	189/2 Paiky-3			00 - 01 - 76	
	190/11			00 - 58 - 71	
	186/Paiky-1			00 - 00 - 70	
	D/S V#22			00 - 14 - 51	
	रास्ता	सरकारी रास्ता		00 - 01 - 55	
	190/10			00 - 00 - 79	
	1037			00 - 06 - 66	
	रास्ता	सरकारी रास्ता		00 - 04 - 90	
	D/S V#1			00 - 00 - 70	
	182/Paiky-1			00 - 17 - 17	
	183			00 - 06 - 25	
	183/Paiky-1			00 - 04 - 16	
	181			00 - 05 - 65	
	178/9			00 - 00 - 24	
	178/8			00 - 25 - 34	
	VIRAJ GGS			00 - 64 - 37	
	155			00 - 00 - 03	
	138/2 Paiky			00 - 00 - 66	

[फा. सं. ओ-/12026/24/2013/ओएनजी-III]

के. एम. सिंह, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2014

S.O. 2784(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2544(E) dated 22 August, 2013, issued under sub-section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated the 22 August, 2013, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the state of Gujarat for transportation of Crude Oil from Well V-22 to Viraj GGS by Oil and Natural Gas Corporation (ONGC);

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to public up to 01/10/2013.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user therein;

Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

WELL V#22 TO VIRAJ GGS

TALUKA:KADI	DISTRICT :MAHESANA		STATE: GUJARAT		
VILLAGE	Block No./ Survey No.	Part , if any	Area to be acquired		
			Ha.	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6
NANI KADI	189/2 Paiky-3		00 - 01 - 76		
	190/11		00 - 58 - 71		
	186/Paiky-1		00 - 00 - 70		
	D/S V#22		00 - 14 - 51		
	Road	G/L Rasta	00 - 01 - 55		
	190/10		00 - 00 - 79		
	1037		00 - 06 - 66		
	Road	G/L Rasta	00 - 04 - 90		
	D/S V#1		00 - 00 - 70		
	182/Paiky-1		00 - 17 - 17		
	183		00 - 06 - 25		
	183/Paiky-1		00 - 04 - 16		
	181		00 - 05 - 65		

178/9	00 - 00 - 24
178/8	00 - 25 - 34
155	00 - 00 - 03
138/2 Paiky	00 - 00 – 66

[F. No. O-12026/24/2013/ONG-III]

K. M. SINGH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2014

का.आ. 2785(अ).----केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकर का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2545(अ) तारीख 22 अगस्त, 2013, जो भारत के असाधारण राजपत्र, तारीख 22 अगस्त, 2013, में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से सलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में वैल नम्बर एस के-06 से विराज जीजीएस तक अपरिष्कृत तेल के परिवहन के लिये गुजरात राज्य में ओएनजीसी लिमिटेड की अहमदाबाद परियोजना द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 01/10/2013 तक उपलब्ध करा दी थीं ;

और सक्षम अधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये आपेक्षित है, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

इस अधिसूच्ना के साथ सलंग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमियों में उपयोगकर्ता के अधिकार के अधिग्रहण का निर्णय लिया है।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से सलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय, सभी विल्लगमों से मुक्त हो कर आयल एन्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची

वैल नम्बर एस के - 06 से विराज जी जी एस					
ताल्लुका : कडी	जिला:मेहसाना	भाग, यदि है	राज्य : गुजरात		
गाँव का नाम	ब्लौक न.		क्षेत्रफल		
	सर्वे न.		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मी
1	2	3	4	5	6
नानीकडी	D/S SK#06			00 - 06 - 68	
	556			00 - 01 -21	
	556/1			00 - 01 - 69	
	716/1			00 - 00 - 01	
	717			00 - 07 - 93	
	रास्ता	सरकारी रास्ता		00 - 07 - 24	
	540			00 - 08 - 24	
	718			00 - 04 - 25	
	719	सरकारी जमीन		00 - 02 - 25	
	रास्ता	सरकारी रास्ता		00 - 00 - 50	
	720	G/L		00 - 05 - 01	
	723			00 - 14 - 17	
	721	सरकारी जमीन		00 - 01 - 84	
	722	सरकारी जमीन		00 - 09 - 77	
	724/1			00 - 00 - 06	
	726/1			00 - 00 - 10	
	1008	सरकारी जमीन		00 - 82 - 65	
	740			00 - 02 - 55	
	746/3			00 - 00 - 08	
-	748			00 - 00 - 02	
	754			00 - 01 - 76	
	755			00 - 14 - 51	
	868			00 - 02 - 09	
	870			00 - 17 - 57	
	871			00 - 16 - 72	
	869			00 - 00 - 63	
	863			00 - 05 - 87	
	862			00 - 04 - 07	
	861			00 - 04 - 80	
	872			00 - 01 - 01	
	नहर	सरकारी नहर		00 - 79 - 63	
	991	सरकारी जमीन		00 - 00 - 01	
	60/P1	सरकारी जमीन		00 - 02 - 06	
	237/A/P1			00 - 04 - 66	
	नहर	सरकारी नहर		00 - 06 - 24	
	65/P			00 - 04 - 01	
	70			00 - 15 - 32	

69/B/P2		00 - 01 - 31
74/1A P-1/P-1		00 - 11 - 25
74/1C P3		00 - 17 - 55
168/A		00 - 02 - 06
166 P1		00 - 10 - 63
163/1/B/P-3		00 - 01 - 92
रास्ता	सरकारी रास्ता	00 - 35 - 90
165		00 - 02 - 92
164		00 - 04 - 96
163/A/P-1		00 - 05 - 99
160/A P1		00 - 04 - 96
159/A/Paiky-1		00 - 05 - 05
152/2		00 - 13 - 92
रास्ता	सरकारी रास्ता	00 - 00 - 40
146 A/P		00 - 02 - 13
138/2 P		00 - 08 - 03
138/1		00 - 01- 87

[फा. सं. ओ–12026/24/2013/ओएनजी-III]

के. एम. सिंह, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2014

S.O. 2785 (E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2545(E) dated 22 August, 2013, issued under sub-section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 22 August, 2013, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the state of Gujarat for transportation of Crude Oil from Well SK-06 to Viraj GGS by Oil and Natural Gas Corporation (ONGC);

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to public up to 01/1012013.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user therein;

Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

WELL # SK 06 TO VIRAJ GGS

TALUKA:KADI	DISTRICT : MAHESANA		STATE : GUJARAT		
VILLAGE	Block No./ Survey No.	Part , if any	Area to be acquired		
			Ha.	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6
NANI KADI	D/S SK#06			00 - 06 - 68	
	556			00 - 01 -21	
	556/1			00 - 01 - 69	
	716/1			00 - 00 - 01	
	717			00 - 07 - 93	
	Cart track	G/L Rasta		00 - 07 - 24	
	540			00 - 08 - 24	
	718			00 - 04 - 25	
	719	G/L		00 - 02 - 25	
	Cart track	G/L Rasta		00 - 00 - 50	
	720	G/L		00 - 05 - 01	
	723			00 - 14 - 17	
	721	G/L		00 - 01 - 84	
	722	G/L		00 - 09 - 77	
	724/1			00 - 00 - 06	
	726/1			00 - 00 - 10	
	1008	G/L		00 - 82 - 65	
	740			00 - 02 - 55	
	746/3			00 - 00 - 08	
-	748			00 - 00 - 02	
	754			00 - 01 - 76	
	755			00 - 14 - 51	
	868			00 - 02 - 09	
	870			00 - 17 - 57	
	871			00 - 16 - 72	
	869			00 - 00 - 63	
	863			00 - 05 - 87	
	862			00 - 04 - 07	
	861			00 - 04 - 80	
	872			00 - 01 - 01	
	Canal	G/L Canal		00 - 79 - 63	
	991	G/L		00 - 00 - 01	
	60/P1	G/L		00 - 02 - 06	
	237/A/P1			00 - 04 - 66	
	Canal	G/L Canal		00 - 06 - 24	
	65/P			00 - 04 - 01	
	70			00 - 15 - 32	
	69/B/P2			00 - 01 - 31	
	74/1A P-1/P-1			00 - 11 - 25	

74/1C P3		00 - 17 - 55
168/A		00 - 02 - 06
166 P1		00 - 10 - 63
163/1/B/P-3		00 - 01 - 92
Road	G/L	00 - 35 - 90
165		00 - 02 - 92
164		00 - 04 - 96
163/A/P-1		00 - 05 - 99
160/A P1		00 - 04 - 96
159/A/Paiky-1		00 - 05 - 05
152/2		00 - 13 - 92
Road	G/L road	00 - 00 - 40
146 A/P		00 - 02 - 13
138/2 P		00 - 08 - 03
138/1		00 - 01- 87

[F. No. O-12026/24/2013-ONG-III]

K. M. SINGH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2014

का.आ. 2786(अ).---केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकर का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2546(अ) तारीख 22 अगस्त, 2013, जो भारत के असाधारण राजपत्र, तारीख 22 अगस्त, 2013, में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में वैल नम्बर वी-36 से विराज जीजीएस तक अपरिष्कृत तेल के परिवहन के लिये गुजरात राज्य में ओएनजीसी लिमिटेड की अहमदाबाद परियोजना द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को **तारीख** 01/10/2013 तक उपलब्ध करा दी थीं ;

और सक्षम अधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के **पश्चात्** और समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये आपेक्षित है, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनूसूची में निर्दिष्ट भूमियों में उपयोगकर्ता के अधिकार के अधिग्रहण का निर्णय लिया है।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय, सभी विल्लगमों से मुक्त हो कर आयल एन्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

वैल नम्बर वी – 36 से विराज जी जी एस			
ताल्लुका : कडी	जिला : मेहसाना		राज्य : गुजरात
गाँव क नाम	ब्लौक न.	भाग, यदि है	क्षेत्रफल
	सर्वे न.		हेक्टेयर-एयर-वर्ग मीटर
नानीकडी	D/S V#36		00 - 14 - 69
	रास्ता	सरकारी रास्ता	00 - 01 - 67
	119		00 - 08 - 77
	120		00 - 11 - 95
	रास्ता	सरकारी रास्ता	00 - 02 - 34
	D/S V#34		00 - 11 - 53
	128/A		00 - 17 - 65
	132/B/Paiky-2		00 - 14 - 58
	143/A		00 - 17 - 66
	142/1		00 - 01 - 55
	144/B Paiky-1		00 - 00 - 64
	144/B Paiky-2		00 - 01 - 20
	रास्ता	सरकारी रास्ता	00 - 11 - 90
	रास्ता	सरकारी रास्ता	00 - 02 - 40
	D/S V#35		00 - 21 - 12
	146/A Paiky		00 - 06 - 45
	138/2 Paiky		00 - 26 - 92
	152/2		00 - 01 - 30
	138/1		00 - 00 - 01

[फा. सं. ओ–12026/24/2013/ओएनजी-III]

के. एम. सिंह, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2014

S.O. 2786(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2546(E) dated 22 August, 2013, issued under sub-section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 22 August, 2013, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the state of Gujarat for transportation of Crude oil from Well V-36 to Viraj GGS by Oil and Natural Gas Corporation (ONGC);

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to public up to 01/1012013.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user therein;

Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

WELL V#36 TO VIRAJ GGS			
TALUKA:KADI	**DISTRICT :MAHESANA**		**STATE: GUJARAT**
VILLAGE	**Block No./ Survey No.**	**Part , if any**	**Area to be acquired Ha. - Are - Sq.mt.**
NANI KADI	D/S V#36		00 - 14 - 69
	Road	G/L Rasta	00 - 01 - 67
	119		00 - 08 - 77
	120		00 - 11 - 95
	Road	G/L Rasta	00 - 02 - 34
	D/S V#34		00 - 11 - 53
	128/A		00 - 17 - 65
	132/B/Paiky-2		00 - 14 - 58
	143/A		00 - 17 - 66
	142/1		00 - 01 - 55
	144/B Paiky-1		00 - 00 - 64
	144/B Paiky-2		00 - 01 - 20
	Road	G/L Rasta	00 - 11 - 90
	Road	G/L Rasta	00 - 02 - 40
	D/S V#35		00 - 21 - 12
	146/A Paiky		00 - 06 - 45
	138/2 Paiky		00 - 26 - 92
	152/2		00 - 01 - 30
	138/1		00 - 00 - 01

[F. No. O-12026/24/2013-ONG-III]

K. M. SINGH, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.